

FORM NO.III


फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)

रानी देवी बनाम देऊ बाई

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 88/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11.3.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सल्लेरे के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रानी देवी</u></p> <p>पत्नी पिता श्री <u>पिमल कुमार इस्वा निथ</u></p> <p>निवासी <u>लालपीडाखेड़ा (भोछड़ी) चित्तौड़गढ़</u> स्थित खालेदारी की आराजी नम्बर <u>14/722</u> जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>लालपीडाखेड़ा</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> कुल रकबा <u>0.4300</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>लालपीडाखेड़ा (भोछड़ी)</u> स्थित खालेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>14/722</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> रकबा <u>0.4300</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षरे <u>पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>

  
 (पीनू देवता)  
 सहायक कलेक्टर एन  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चित्तौड़गढ़